आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गढ़वा।

परमीशन वाद संख्या–41/2022–23

सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49(3) अन्तर्गत

आदेश

यह वाद आवेदकगण 1. रामनाथ सिंह 2. नंद किशोर सिंह 3. बलवान सिंह तीनों पिता–स्व0 दुबराज सिंह 4. दशरथ सिंह 5. बालकेश्वर सिंह 6. संतोष सिंह 4 से 6 पिता–स्व0 रामदेव सिंह, सभी साकिन ग्राम–सिरोई खूर्द, थाना–रंका, जिला–गढ़वा की ओर से सिंचाई योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) को सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49 (3) के अन्तर्गत अपनी भूमि के बिक्री की अनुमति के निमित प्राप्त आवेदन पर प्रारंभ किया गया है। आवेदित भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, रंका से अद्यतन प्रतिवेदन की मांग की गई।

अंचल अधिकारी, रंका के पत्रांक 527, दिनांक 26.12.2022 एवं 47, दिनांक 06.02.2023 से प्राप्त आवेदित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है:–

1. भूमि के रैयत दुबराज सिंह, पिता नान्हु सिंह हैं। वर्तमान आवेदकगण रैयत के वंशज हैं।
2. पंजी–II में खाता–44, प्लॉट–35 की किस्म टांड़–2 है, जिसका कुल रकबा 3.63 ए0 है।
3. भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है।
4. भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेतागण भूमिहीन नहीं हो रहे हैं।

सरकारी अधिवक्ता, गढ़वा द्वारा भी उपरोक्त प्रयोजन हेतु आवेदित भूमि को कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) के पक्ष में ट्रान्सफर किये जाने का निम्नवत् मंतव्य दिया गया है :–

"Having examined the relevant legislation I am in the opinion that the petitioner can transfer their holding in favour of the Executive Engineer, Waterways Divison, Garhwa (Deptt. Of Water Resources) for construction of delivery chamber for the purpose of irrigation after getting proper compensation(consideration amount) by mentioning in the deed that the transferee shall be entitled to use the land only for the purpose for which it was transferred and all condition laid down in sec 49 or the provision of CNT Act shall be applicable in such

Scanned by CamScanner

transfer."

अतः अंचल अधिकारी से प्राप्त उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा सरकारी अधिवक्ता के मंतव्य के आलोक में सी0एन0टी0 एक्ट की धारा 49(3) अन्तर्गत आवेदकगण 1. रामनाथ सिंह 2. नंद किशोर सिंह 3. बलवान सिंह तीनों पिता–स्व0 दुबराज सिंह 4. दशरथ सिंह 5. बालकेश्वर सिंह 6. संतोष सिंह 4 से 6 पिता–स्व0 रामदेव सिंह, सभी साकिन ग्राम–सिरोई खूर्द, थाना–रंका, जिला–गढ़वा के द्वारा मौरूषी भूमि को सिंचाई हेतु डेलिवरी चैंबर निर्माण के लिए क्रेता कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, गढ़वा (जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची) के नाम से आवेदित भूमि की बिक्री की अनुमति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती हैः–

3. सी0एन0टी0 एक्ट की सुसंगत धाराओं का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
4. भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजनार्थ नहीं किया जाएगा।

भूमि का विवरणः–

क्र0 सं0	मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़ में)	चौहद्दी
1	सिरोई खूर्द	07	44	35	0.36	उ0–सोबराती मियां द0–स्व0 लालजी सिंह पू0–पीच रोड प0–बैजनाथ सिंह

आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु अवर निबंधक, गढ़वा को भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

21/2/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा

21/2/23

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी,
गढ़वा

Digitally signed by SHEKHAR JAMUAR
Date: 2024.06.26 17:41:35 +05:30
Location: 192.168.43.218

Scanned by CamScanner